



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122021-232162
CG-DL-E-27122021-232162

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5002]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943

No. 5002]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5393(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि कांडला गोरखपुर-एल.पी.जी. गैस पाइपलाइन परियोजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम खनिज उत्पाद के परिवहन हेतु कांडला से गोरखपुर तक आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश में पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के अन्दर भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी आई.एच.बी. लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : सीहोर		राज्य : मध्य प्रदेश			
तहसील	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
सीहोर	महोडिया	190	00	02	68
		216	00	13	03
		34/1	00	04	15
		38	00	01	63
		14/3	00	04	10
		17/1	00	00	20
		140	00	01	44
		35	00	01	49
		32/1	00	03	36
		30/5	00	03	27
		25	00	03	93
		24	00	03	78
		14/1	00	02	62
		16	00	07	51
		54/1	00	04	93
	सेमलीखुर्द	76	00	00	41
		194/1 L	00	23	10
	नोनीखेड़ी गुसाई	353/3	00	00	65
		353/2	00	04	09
	छापरीकलां	135/3/THA	00	03	67
		135/3/BH	00	06	69
		135/3/NA/1	00	12	85
		135/3/CHH	00	34	15
		135/3/D	00	00	61
		135/3/P	00	16	56
		135/3/N/1	00	02	74
	सेवनिया	31,32/1	00	18	57
		24/3	00	14	50

	कल्याणपुरा	93/3	00	01	90
	खामलिया	397/1	00	15	66
		397/2	00	13	79

[फा. सं. आर-11025(15)/5/2020-ओआर-1/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2021

S.O. 5393(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Kandla to Gorakhpur in the state of Madhya Pradesh a pipeline should be laid by IHB Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land describe in the said schedule may, within 21 days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to competent Authority, IHB Limited, Bhopal, Madhya Pradesh.

SCHEDULE

District : SEHORE		State : MADHYA PRADESH			
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6
Sehore	Mahodiya	190	00	02	68
		216	00	13	03
		34/1	00	04	15
		38	00	01	63
		14/3	00	04	10
		17/1	00	00	20
		140	00	01	44
		35	00	01	49
		32/1	00	03	36
		30/5	00	03	27
		25	00	03	93
		24	00	03	78
		14/1	00	02	62

Sehore		16	00	07	51
		54/1	00	04	93
	Semali Khurd	76	00	00	41
		194/1 L	00	23	10
	Noni Khedi Gusain	353/3	00	00	65
		353/2	00	04	09
	Chhapri Kalan	135/3/THA	00	03	67
		135/3/BH	00	06	69
		135/3/NA/1	00	12	85
		135/3/CHH	00	34	15
		135/3/D	00	00	61
		135/3/P	00	16	56
		135/3/N/1	00	02	74
	Sewaniya	31,32/1	00	18	57
		24/3	00	14	50
	Kalyanpura	93/3	00	01	90
	Khamaliya	397/1	00	15	66
		397/2	00	13	79

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-1/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.